न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला उदयपुर
प्रकरण संख्या 165/2025 प्रा.पत्र
चिराग मारू बनाम सरकार
निर्णय प्रा.पत्र 128 एल.आर. एक्ट

2025/416

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी अवुला सांई कृष्ण, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 165/2025 (128 भू–राज. अधि.) प्रा.प. GCMS No. 2025/416

1. चिराग मारू पिता शांतिलाल जी मारू उम्र वयस्क, निवासी 13–14, भान बाग, न्यू फतहपुरा उदयपुर (राज.)
2. पियुष मारू पिता शांतिलाल जी मारू उम्र वयस्क, निवासी 13–14, भान बाग, न्यू फतहपुरा उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती मोनिका पत्नि श्री चिराग मारू उम्र वयस्क, निवासी 13–14, भान बाग, न्यू फतहपुरा उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती सोनाली पत्नी श्री पियुष मारू उम्र वयस्क, निवासी 13–14, भान बाग, न्यू फतहपुरा उदयपुर (राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बारापाल जिला उदयपुर

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते पत्थरगढ़ी

उपस्थित :–

1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री कल्पित जैन पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 5.1.26 (5.1.26)

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा चौकड़िया, पटवार हल्का नाई, की आराजी संख्या 6650, 9094/6649, 9096/6651 किता 3 रकबा 1.6002 हैक्टेयर स्थित होकर प्रार्थीगण द्वारा उपयोग उपभोग किया जाता रहा है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि के उत्तर दिशा की तरफ आराजी संख्या 4793 बिलानाम सरकार स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि के चारों तरफ मौके पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा था जिस पर विपक्षी सरकार की और से खातेदारी भूमि आराजी संख्या 4793 से सम्बधित प्रार्थीगण एवं विपक्षी के मध्य सीमांकन बाबत् विवाद उत्पन्न होता रहा है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी की बिलानाम भूमि के मध्य सीमांकन कराया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला उदयपुर
प्रकरण संख्या 165/2025 प्रा.पत्र
चिराग मारू बनाम सरकार
निर्णय प्रा.पत्र 128 एल.आर. एक्ट

2025/416 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी तहसीलदार बारापाल द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नियमानुसार सीमांकन अथवा पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कराई जाती है तो विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं है।

विपक्षी जवाब प्राप्त होने से उभयपक्ष अधिवक्तागण बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क पत्थरगढ़ी कराये जाने का कथन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब तहसीलदार में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए नियमानुसार पत्थरगढ़ी कराये जाने का कथन किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार राजस्व ग्राम चौकड़िया, पटवार हल्का नाई, की आराजी संख्या 6650, 9094/6649, 9096/6651 किता 3 रकबा 1.6002 हैक्टेयर प्रार्थीगण के खातेदारी की तथा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजीयात के उत्तर दिशा में स्थित आराजी संख्या 4793 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बिलानाम सरकार दर्ज है। जिससे प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि की सीमा की जानकारी एवं उपयोग उपभोग के लिए सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बारापाल को 1000/– रु. के शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए आदेश दिया जाता हैं कि उभयपक्ष को सूचित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में राजस्व ग्राम चौकड़िया, पटवार हल्का नाई, की आराजी संख्या 6650, 9094/6649, 9096/6651 किता 3 रकबा 1.6002 हैक्टेयर तथा बिलानाम आराजी संख्या 4793 6.1500 हैक्टैयर के मध्य राजस्व नक्शा अनुसार सीमांकन कर पत्थरगढी की कार्यवाही करावे एवं पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। निर्णय सरेइजलास सूनाया गया। प्रकरण शुमारफैसल होकर नम्बर से कम हो।

(अवुला सांई कृष्ण)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर